HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10364/2025

Raj Singh S/o Shri Bhoop Singh, Aged About 42 Years, R/o Jaitpura Mohalla, Ward No. 05, Police Station Behror, District Kotputli-Behror, Raj. (In Custody At Central Alwar Jail Since 05.07.2024).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through The Ld. PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vibhuti Bhushan Sharma, Adv. Mr. Sarthak Choubay, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

RESERVED ON : 08/10/2025
PRONOUNCED ON : 14/10/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बहरोड़, कोटपूतली–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 308/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 व 8/22 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त डॉ. अविनाश शर्मा के यहां नौकर था और 10,000/– रूपये में नौकरी करता था, मुख्य अभियुक्त डॉ. अविनाश शर्मा है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक नवीन शर्मा से अवैध नशीली दवाईयां/सामग्री मंगवाता था

और उक्त नशीली दवाईयां गोदाम मालिक राकेश यादव उर्फ राजेश के यहां रखवाता था। सहअभियुक्त नवीन शर्मा की अंतरिम जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, अन्य सहअभियुक्त राकेश यादव उर्फ राजेश यादव का जमानत प्रार्थना पत्र 4604/2025 माननीय न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.07.2024 से अर्थात करीब एक साल दो माह से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है और जो दवाईयां पृथक–पृथक रूप से जब्त की गयी हैं, वे संयुक्त रूप से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक हैं, परंतु पृथक–पृथक रूप से वाणिज्यिक मात्रा से कम हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई विनिश्चयों में अभिरक्षा की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः–

1. Uday Mandal Vs The State of West Bengal; Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 6256/2024; Order Dated 30.07.2024

2. Mijanul Islam @ Laltu & Anr. Vs State of West Bengal; SLP (Crl.) No(s). 7072/2025; Order Dated 26.05.2025

3. Sujan SK. @ Sujan Sheikh Vs The State of West Bengal; Petition for Special Leave to Appeal (Crl.) No. 1134/2025; Order Dated 28.04.2025

4. Jaswinder Singh @ Kala Vs The State of Punjab; Petition for Special Leave to Appeal (Crl.) No. 3502/2025; Order Dated 28.04.2025

5. Naresh Kumar Sahu Vs The State of Madhya Pradesh; Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 5802/2024; Order Dated 30.07.2024

6. Vivek Patel Vs State of Gujarat & Anr.; Diary No. 2793/2025 Order Dated 09.05.2025

7. Siyaram Gurjar @ Gurja Vs State of West Bengal; Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 3401/2025; Order Dated 07.05.2025

8. Naveen Sharma Vs The State of Rajasthan; Petition for Special Leave to Appeal (Crl.) No. 7347/2025; Order Dated 19.05.2025

9. Vibhor Rana Vs Union of India & Anr.; (2022) 01 ILR A15

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि प्रार्थी/अभियुक्त डॉ. अविनाश शर्मा के यहां नौकर था तथा उसका 10,000/– रूपये में नौकरी करना बताया गया है। डॉ. अविनाश शर्मा को S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4618/2024 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2024 द्वारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा यह आदेश दिया गया था कि वह अन्वेषण में सम्मिलित हो और अन्वेषण अधिकारी का सहयोग करे तो अग्रिम आदेश तक उसके विरूद्ध कोई बलपूर्वक कार्यवाही

(Coercive Action) नहीं की जावे। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रकरण में जो नशीली सामग्री बरामद हुई हैं वे डॉ. अविनाश शर्मा की थीं और प्रार्थी/अभियुक्त उसका नौकर होने के कारण उक्त दवाईयों को डॉ. अविनाश शर्मा के बहरोड़ स्थित किराये के गोदाम से उसके कोटपूतली गोपालपुरा रोड़ के पास स्थित क्लिनिक और ग्राम खेड़की वीरभान में जाकर डॉ. अविनाश शर्मा को देता था। जिस गोदाम से नशीली दवाईयां बरामद हुई हैं, उसके मालिक राकेश यादव उर्फ राजेश यादव को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4604/2025 आदेश दिनांक 14.05.2025 के द्वारा जमानत दी जा चुकी है। जिस ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नवीन शर्मा से डॉ. अविनाश शर्मा द्वारा नशीली सामग्री मंगवायी गयी थी, उसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Petiton for Special Leave to Appeal (Crl.) No. 7347/2025 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 के द्वारा आगामी पेशी तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.07.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है, उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, कुल 29 साक्षीगण होना बताया गया है, जिसमें से एक भी साक्षी के बयान लेखबद्ध नही हुए हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, उसकी आरोपित अपराध कारित करने में उपरोक्त विवेचनानुसार अंकित भूमिका तथा प्रस्तुत विनिश्चयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त राजसिंह पुत्र भूपसिंह की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि

यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /Res.